प्रेस नोट ***09/04/2025***

25000 हजार रुपये का इनामिया व गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.04.2025 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर क्लेक्ट्रेट तिराहा के पास से मु0अ0सं0 14/25 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना रामपुर में 25000 (पच्चीस हजार) रुपये का इनामिया व गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह उर्फ आशू पुत्र गोविन्द प्रताप सिंह मुण्डेरी थाना मानपुर जनपद सीतापुर उ0प्र0 को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. विश्वनाथ प्रताप सिंह उर्फ आशू पुत्र गोविन्द प्रताप सिंह मुण्डेरी थाना मानपुर जनपद सीतापुर उ0प्र0।

आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0स0 14/25 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना रामपुर जनपद मऊ।
2. मु0अ0स0 28/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना रामपुर जनपद मऊ।
3. मु0अ0स0 29/22 धारा 411 भादवि थाना रामपुर जनपद मऊ।
4. मु0अ0स0 18/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना रामपुर जनपद मऊ।
5. मु0अ0स0 356/23 धारा 379,411 भादवि बक्शी का तालाब लखनऊ उत्तरी कमिश्नरेट लखनऊ।
6. मु0अ0स0 275/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद सीतापुर।
7. मु0अ0स0 284/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद सीतापुर।
8. मु0अ0स0 384/23 धारा 411, 420,467,468,471 भादवि थाना विसवां जनपद सीतापुर।
9. मु0अ0स0 195/24 धारा 25 आर्म्स बी1 एक्ट थाना संधाना सीतापुर।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय त्रिपाठी थाना मधुबन जनपद मऊ।
2. उ0नि0 दिलीप कुमार पटेल थाना मधुबन जनपद मऊ।
3. का0 अजीत यादव थाना मधुबन जनपद मऊ।
4. का0 संदीप यादव थाना मधुबन जनपद मऊ।
5. का0 नीरज यादव थाना मधुबन जनपद मऊ।
6. का0 अनुप कुमार सिंह थाना मधुबन जनपद मऊ।
7. का0 सचिन यादव थाना मधुबन जनपद मऊ।
8. का0 पंकज विश्वकर्मा थाना मधुबन जनपद मऊ।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व ₹2,000 के अर्थदंड से हुया दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एसीजेएम/एसडी जनपद मऊ द्वारा दिनांक 08-04-2025 को मु0अ0सं0 1021/2007 के धारा

4/25 आर्म्स एक्ट थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त गुड्डू पुत्र मुनुस निवासी चन्दामल वलीपुर थाना उँभाव जनपद बलिया को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गयी अवधि की सजा एवं ₹2,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

लोन दिलाने के नाम पर अन्जान व्यक्ति द्वारा यूपीआई के माध्यम से मंगवाये गये कुल धनराशि 10850 रुपये थाना सरायलखन्सी साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना सरायलखन्सी साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए लोन दिलाने के नाम पर अन्जान व्यक्ति द्वारा यूपीआई के माध्यम से मंगवाये गये कुल धनराशि 10850 रुपये, पीडित पंकज चौहान पुत्र अमरजीत चौहान निवासी ठकुरमनपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ । आवेदक के कुल धनराशि 10850 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना सरायलखन्सी के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया । साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक श्री शैलेश सिंह, निरीक्षक अपराध श्री हरेन्द्र सिंह, उ0नि0 नयन कुमार बर्नवाल, म0उ0नि0 अंशी शुक्ला क0आ0 आशीष द्विवेदी, आरक्षी धीरज कुमार, म0आ0 शिखा तिवारी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।

02 वांछित तथा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 09.04.2025 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना कोपागंज पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर भातकोल मोड़ के पास से मु0अ0सं0 96/25 धारा 64(2)(एम), 351(3) बीएनएस व 67ए आईटी एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त गणेश यादव पुत्र स्व0 सविन्द्र यादव निवासी कोपाकोहना थाना कोपागंज जनपद मऊ व थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कासिमपोखरी के पास से मु0अ0सं0 32/25 धारा 191(2), 191(3), 190, 309(4), 109 बीएनएस में वांछित अभियुक्त आकाश राव पुत्र मुन्ना राव निवासी कासिमपोखरी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ तथा थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त प्रदीप पुत्र अवधबिहारी निवासी बरईपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि (01 वर्ष 20 दिन) के कठोर कारावास व ₹1,000 के अर्थदंड से हुया दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय पॉक्सो कोर्ट प्रथम जनपद मऊ द्वारा दिनांक 09-04-2025 को मु0अ0सं0 502/2017 के धारा 354,354सी,354डी,376,511,506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर में दोषसिद्ध अभियुक्त अनूप तिवारी पुत्र अशोक तिवारी निवासी धरहरा थाना उँभाव जनपद बलिया को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गयी अवधि (01 वर्ष 20 दिन) के कठोर कारावास की सजा एवं ₹1,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर एक सप्ताह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।